

## आदेश

उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या 185/एक -11-2020-रा0-11 दिनांक 24 मार्च,2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 संपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-2 की उपधारा (जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है।

गृह मन्त्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-DM-II(A) दिनांक 01.05.2020 कोविड महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉकडाउन को अग्रिम 02 सप्ताह तक प्रभावी बनाये जाने के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 381/2020/सीएक्स-3 गृह (गोपन)अनुभाग-3 दिनांक 03.05.2020 द्वारा प्रख्यापित निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कन्टेन्मेन्ट जोन के अन्तर्गत उपरोक्त शासनादेश में अनुमन्य क्रियाकलापों यथा- आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चिकित्सकीय सेवाओं की अनुमन्यता ही मान्य होगी। उक्त कन्टेन्मेन्ट जोन की परिधि के बाहर उपरोक्त शासनादेश में अनुमन्य क्रियाकलापों के सम्बन्ध में निम्नवत व्यवस्था लागू किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये जाते हैं -

1. जनपद में अनुमन्य औद्योगिक इकाईयों के संचालन की अनुमति से पूर्व कन्टेन्मेन्ट जोन की स्थिति का परीक्षण करते हुए सम्बन्धित इन्सिडेन्ट कमाण्डर द्वारा ऑनलाईन/पोर्टल के माध्यम से प्रमाणित/अनुमोदन तत्काल दिया जायेगा।
2. जनपद में इन्सिडेन्ट कमाण्डर द्वारा प्रमाणित/अनुमोदित ऐसी अनुमन्य औद्योगिक इकाईयों के संचालन की अनुमति अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सम्बन्धित प्राधिकरण (नोएडा/ग्रेटर नोएडा/डीडा), आरओएमओ-यू0पी0एस0आई0डी0सी0, उपायुक्त (उद्योग), गौतमबुद्धनगर द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल जारी की जायेगी।
3. Special Economic Zones (SEZs), Export Oriented Units (EOUs), के अन्तर्गत कार्यरत अनुमन्य औद्योगिक इकाईयों के संचालन की अनुमति सम्बन्धित विकास आयुक्त, भारत सरकार द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से तत्काल प्रदान की जायेगी।
4. इन औद्योगिक इकाईयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को आने-जाने हेतु किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा निर्गत आई0कार्ड ही उनका पास होगा। जिन इकाईयों में 50 से अधिक कर्मचारी/अधिकारी कार्य करेंगे, उनका आवागमन Pooling Transport के तहत किया जायेगा एवं वाहनों की सूची सम्बन्धित ए0सी0पी0 को ई-मेल के माध्यम से भेजी जायेगी।
5. जनपद में निर्माण कार्य हेतु अपने-अपने क्षेत्र में नियमानुसार अनुमति सम्बन्धित प्राधिकरण (नोएडा/ग्रेटर नोएडा/डीडा) द्वारा प्रदान की जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यरत मजदूर निर्माणाधीन स्थल पर ही रहेंगे और जनपद में अन्य स्थानों पर उनके आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
6. जनपद में निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कार्य क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं और उन्हें किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग एवं समस्त आवश्यक सावधानियाँ बरतनी होगी।
7. जनपद समस्त सरकारी कार्यालय गृह मन्त्रालय एवं उ0प्र0शासन की गाईडलाइन के अनुसार खोले जायेंगे और कार्यालय द्वारा जारी आई कार्ड ही उनका पास होगा, उन्हें अलग से किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी।
8. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर समस्त मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स एवं मार्केट बन्द रहेगे। यद्यपि आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से सम्बन्धित दुकानों को मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स में खुलने की अनुमति होगी।
9. समस्त एकल दुकाने (एक स्थान पर एक ही दुकान), कॉलोनी के अन्दर की दुकाने और आवासीय परिसर के अन्दर की दुकानों के खुलने की अनुमति होगी।
10. अन्तर्राज्यीय (Between the State) एवं अन्तर्जनपदीय (Between the District) आवागमन पूर्व की भाँति प्रतिबन्धित रहेगा।
11. सभी सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन हो।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

5  
(सुहास एल0वाई0)  
जिला मजिस्ट्रेट  
गौतमबुद्धनगर।